सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021 *Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र – 7 (नियम 16 का उपनियम (1))

प्रारंभिक अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2020

संख्या प.7(505)एस.एच.ए./पीपीपी/2020-2021/1120 :-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि खुद-दांतारामगढ़-रेनवाल राजमार्ग संख्या 8ए को पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए जिला-नागौर, तहसील-नावां के ग्राम-खोरण्डी में कुल 1.3367 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के में विहित है प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

खुद-दांतारामगढ़-रेनवाल राजमार्ग संख्या 8ए सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई का सारांश निम्नानुसार है। भूमि अर्जन स्वरूप 34 परिवार के प्रभावित होने की संभावना है। पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापना के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी नावां को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त परियोजना के लिये जिला-नागौर, तहसील-नावां के ग्राम-खोरण्डी में कुल 1.3367 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है।

ग्राम-खोरण्डी

क्र0 सं0	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	संपूर्ण क्षेत्रफल (हे0 में)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के तहत क्षेत्रफल (हे0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उ0	द0	पू0	प0	किस्म	सं0	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	528	0.2100	सरकारी	गै0 मु0 आबादी	0.0075	चरागाह अन्य सामान्य काम हेतु								
2	766/530	0.4800	निजी	बारानी 1	0.0100	प्रहलाद पुत्र बंशीराम								
3	535	0.5700	सरकारी	गै0 मु0 रास्ता	0.0345	राजस्थान सरकार								
4	536	0.1300	निजी	गै0 मु0 ढाणी	0.0502	प्रेमदेवी पत्नी शिवदयाल								
5	851/740	0.2500	निजी	बारानी 1	0.2140	नाथीदेवी पत्नी श्रवणराम, नानूराम पुत्र								

						श्रवणराम, प्रेमदेवी पुत्री श्रवणराम, सागरमल पुत्र श्रवणराम								
6	740/537	0.2500	निजी	बारानी 1	0.1820	लालुराम पुत्र कानाराम								
7	852/740	0.4400	निजी	बारानी 1	0.1720	नाथुराम पुत्र बाबूलाल, मिश्री देवी पत्नी बाबूलाल								
8	537	1.4700	सरकारी	गै0 मु0 खारडा	0.5125	राजस्थान सरकार								
9	576	0.1000	सरकारी	गै0 मु0 खारडा	0.0070	राजस्थान सरकार								
10	577	0.7000	सरकारी	गै0 मु0 खारडा	0.0350	राजस्थान सरकार								
11	578	1.9200	निजी	बारानी 1	0.0710	गोपीराम पुत्र सुरजमल, छिगनाराम पुत्र सुरजमल, डालूराम पुत्र सुरजमल, बिरदाराम पुत्र सुरजमल, मोतीराम पुत्र सुरजमल, रामपाल पुत्र सुरजमल								
12	585	1.7200	निजी	बारानी 1	0.0410	कमली पुत्री बोदूराम, केसरदेवी पुत्र भगवानाराम, किस्तूरी पत्नी बोदूराम, गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम, गोपालराम पुत्र भगवानाराम, जगदीश पुत्र भगवानाराम, जडावली पत्नी हीराराम, पूजादेवी पुत्री भगवानाराम, बलबीर पुत्र हीराराम, भगवती पुत्री बोदूराम, रणजीत पुत्र हीराराम, लालीदेवी पत्नी								

						भगवानाराम, विनोद पुत्र हीराराम, शिशपाल पुत्र हीराराम, सजनादेवी पुत्री भगवानाराम, सुनीता देवी पुत्री भगवानाराम, स्यानादेवी पुत्री भुगवानाराम सोहनी पुत्री बोदूराम, हरदेवाराम पुत्र भगवानाराम								
				कुल योग	1.3367								

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला कलक्टर एवं भूमि-अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी तहसील-नावां, जिला-नागौर के कार्यालय के किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के अधीनस्थ स्टाफ को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य जो धारा 12 में वर्णित है को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात बिना जिला कलक्टर की पुर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन को लेकर कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत आपत्ति उप जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें।

मनवर अली,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।